

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कासगंज, कानपुर नगर, चन्दौली, मेरठ, कन्नौज, शहांजहापुर, देवरिया एवं कानपुर देहात
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०:-SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/ 2480-8

दिनांक : 11/06/18

विषय: एन0पी0सी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र एवं स्वैच्छिक क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में वित्तीय वर्ष 2017-18 की लम्बित देनदारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्तर पर राजकीय/स्वैच्छिक क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु Ongoing Activity में मद सं०- आई 1.1 स्वैच्छिक क्षेत्र में रू० 15000000 धनराशि एवं मद सं०- बी 16.2.11.4 राजकीय क्षेत्र में रू० 1102055 धनराशि कमिटेड मद में रक्षित है।

2. राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपदों से प्रेषित प्रस्तावों के क्रम में राज्य स्तर पर राजकीय/स्वैच्छिक क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु Ongoing Activity कमिटेड मदों में रक्षित धनराशि से सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नतालिकानुसार धनराशि आवंटित की जा रही है-

क्र०सं०	जनपद का नाम	राजकीय क्षेत्र प्रस्तावित धनराशि	स्वैच्छिक क्षेत्र प्रस्तावित धनराशि	कुल प्रस्तावित धनराशि
		बी 16.2.11.4	आई 1.1	
1	कासगंज	0	495000	495000
2	कानपुर नगर	0	2564000	2564000
3	चन्दौली	0	378000	378000
4	मेरठ	768205	49900	818105
5	कन्नौज	333850	3780000	4113850
6	शहांजहापुर	0	1233000	1233000
7	देवरिया	0	1609000	1609000
8	कानपुर देहात	0	4212000	4212000
कुल प्रस्तावित योग		1102055	14320900	15422955

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपदों को आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेड अवशेष धनराशि से व्यय किया जाना सुनिश्चित करना है।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही सम्यानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें एवं उपरोक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय क्षेत्रों में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में सृजित देनदारियों के लिये वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

12. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं० 1207-13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं०:-SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कासगंज, कानपुर नगर, चन्दौली, मेरठ, कन्नौज, शहांजहापुर, देवरिया एवं कानपुर देहात
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०:-SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/

दिनांक : 11/06/18

विषय: एन0पी0सी0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र एवं स्वैच्छिक क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में वित्तीय वर्ष 2017-18 की लम्बित देनदारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्तर पर राजकीय/स्वैच्छिक क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु Ongoing Activity में मद सं०- आई 1.1 स्वैच्छिक क्षेत्र में रू० 15000000 धनराशि एवं मद सं०- बी 16.2.11.4 राजकीय क्षेत्र में रू० 1102055 धनराशि कमिटेड मद में रक्षित है।

2. राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपदों से प्रेषित प्रस्तावों के क्रम में राज्य स्तर पर राजकीय/स्वैच्छिक क्षेत्र में मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु Ongoing Activity कमिटेड मदों में रक्षित धनराशि से सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नतालिकानुसार धनराशि आवंटित की जा रही है-

क्र०स०	जनपद का नाम	राजकीय क्षेत्र प्रस्तावित धनराशि	स्वैच्छिक क्षेत्र प्रस्तावित धनराशि	कुल प्रस्तावित धनराशि
		बी 16.2.11.4	आई 1.1	
1	कासगंज	0	495000	495000
2	कानपुर नगर	0	2564000	2564000
3	चन्दौली	0	378000	378000
4	मेरठ	768205	49900	818105
5	कन्नौज	333850	3780000	4113850
6	शहांजहापुर	0	1233000	1233000
7	देवरिया	0	1609000	1609000
8	कानपुर देहात	0	4212000	4212000
कुल प्रस्तावित योग		1102055	14320900	15422955

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपदों को आवंटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध अनकमिटेड अनस्पेड अवशेष धनराशि से व्यय किया जाना सुनिश्चित करना है।

5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही सम्यानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें एवं उपरोक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय क्षेत्रों में मोतियाबिन्द ऑपरेशन में सृजित देनदारियों के लिये वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुये व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
11. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा कारायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
12. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक राष्ट्रीय कार्यक्रम, कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र सं० 1207-13 दिनांक 05/05/2016 द्वारा जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।
13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं०:-SPMU/NCD/NPCB/Main File/2018-19/01A/2480-8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को ई-मेल के माध्यम से इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, नेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला लेखा प्रबन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश

(डा० ए०बी० सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०